सवला

न्याय की लड़ाई में फ़तह

वीणा शिवपुरी

राजस्थान के भटेरी गांव में 22 सितम्बर 1992 को महिला विकास कार्यक्रम की साथिन भंवरी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। भंवरी बाल-विवाह के ख़िलाफ़ चल रहे सरकारी अभियान में काम कर रही थी। उसने अपना फर्ज़ निभाते हुए

वह सिर्फ़ छेड़छाड़ हो या बलात्कार। एक भद्दे इशारे से लेकर बलात्कार के बीच यौन अत्याचार के बहुत से रूप होते हैं। वे सभी, औरतों को शारीरिक और मानसिक तकलीफें पहुंचाते हैं। उनके विकास में बाधक होते हैं। काम करने के

उनके बुनियादी हक का

हनन करते हैं। यानी हर

तरह से उनकी प्रगति को

रोककर उन्हें पिछडेपन

की तरफ धकेलते हैं।


जनहित याचिका

एक बाल-विवाह को रोका। परिणामस्वरूप रामकरण गूजर ने अपने कुछ साथियों के साथ बलात्कार के रूप में बदला लिया। गांव और ज़िला स्तर पर सरकारी तंत्र ने ढिलाई बरती। समय पर रपट नहीं लिखी गई, डाक्टरी जांच में देरी हुई, सबूत नष्ट कर दिए गए। भंवरी को न्याय दिलाने की तुरन्त कार्रवाई की जगह उसे ही झूठा ठहराया गया।

एक घटना-एक आन्दोलन

यह घटना अपने आप में पहली या आखिरी नहीं है, परन्तु इसने देशव्यापी बहस छेड़ी और कई सवाल उठाए। हर कामकाजी औरत को चेताया कि यह उसके साथ भी हो सकता है। विशेषतः वे औरतें जो किस न किसी रूप में रूढ़ियों के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। इसी से जुड़ा मुद्दा उठा- हर कामकाजी औरत के साथ उसके काम की जगह पर होने वाला यौन-अत्याचार। चाहे इन सारे मुद्दों से प्रेरित हो कर कुछ सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता तथा ग़ैर सरकारी संगठनों ने एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत कामकाजी औरतों के बुनियादी अधिकारों को लागू करने की मांग की। वे अधिकार हैं 'जैंडर समानता', 'जीवन तथा खतन्त्रता कारक' तथा 'कोई भी पेशा अपनाने या व्यवसाय करने की

आज़ादी'। ये सभी अधिकार तभी लागू हो सकते हैं, जबकि औरतें सम्मान से जीवन जी पाएं, सुरक्षित वातावरण में अपनी मर्जी का काम कर पाएं। बुनियादी अधिकारों की बहाली की



जरूरी शर्ते पूरी करना सरकार का फ़र्ज है। कृानून बनाने तथा संशोधन लाने में समय लगता है। उस दौरान कानून के अभाव में, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चन्यायालय दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। याचक को तुरन्त राहत दिलाने का यह प्रभावकारी तरीका है।

अन्य मददगार अनुच्छेद/अन्तर्राष्ट्रीय समझौते अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अलावा अन्य कई अनुच्छेद भी इस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए कानूनी बुनियाद देते हैं।

- अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। साथ ही औरतों व बच्चों के लिए खास प्रावधानों की इजाज़त देता है।
- अनुच्छेद 42 में काम के मानवीय हालात तथा प्रसव-सुविधाओं के लिए सरकार को निर्देश दिए गए हैं तथा यह भी कहा गया है कि कोई भी रीति-रिवाज जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हो, बंद कर दिया जाए।
- अनुच्छेद 51 अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 253 में कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद को नए कानून बनाने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 73 में स्पष्ट किया गया है कि जब तक संसद कानून बनाए तब तक किसी भी बुराई को ख़त्म करने के लिए संघीय प्रशासनिक शक्ति उपलब्ध होती है।

इस प्रकार अनुच्छेद 32 के तहत बुनियादी अधिकारों की बहाली के लिए न्यायालय की ताकत तथा संघीय ताकत को मिलकर कामकाजी औरतों को सुरक्षा देनी होगी।

एक बड़ा कदम

इन सभी अनुच्छेदों की मदद से चली क़ानूनी बहस के दौरान न्यायालय के निर्देश विकसित हुए। न्यायधीशों ने माना कि जैंडर-समानता तथा यौन-उत्पीड़न के सभी रूपों की रोकथाम का मुद्दा बुनियादी मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के दायरे में आता है। अतः उन्होंने सभी काम के स्थानों, संस्थाओं में पालन किए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। न्यायालय का यह फैसला औरतों के विकास का रास्ता रोशन करेगा।

- न्यायालय के अनुसार यौन उत्पीड़न के सभी रूपों की रोकथाम करना संस्था के मालिक या अन्य ज़िम्मेदार व्यक्तियों का फ़र्ज होगा। साथ ही वे औरतों को सुरक्षा देने, ऐसे मामलों को रोकने, निपटाने तथा उन पर कार्रवाई करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
- निर्देशों पर सही अमल के लिए यौन उत्पीड़न की परिभाषा भी तय की गई:--
 - (अ) शारीरिक सम्पर्क और पहल
 - (आ) यौन उपकार की मांग या प्रार्थना
 - (इ) अश्लील सामग्री दिखाना, अथवा
 - (उ) ऐसा कोई भी शारीरिक, शाब्दिक या गैर-शाब्दिक यौन-व्यवहार जिसका महिला स्वागत न करती हो।

रोकथाम के कृदम

 ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार यौन-उत्पीड़न की मनाही की जानकारी काम की जगह पर उचित तरीकों से बताई जाए, प्रकाशित हो तथा सबके बीच प्रसारित की जाए।

2. संस्था में व्यवहार तथा अनुशासन के नियमों

अगस्त-सितम्बर, 1997

के तहत यौन-- उत्पीड़न की मनाही के नियम को भी शामिल किया जाए तथा नियम तोड़ने के लिए उचित सज़ा का प्रावधान हो। यह सरकारी व अर्धसरकारी दोनों क्षेत्रों पर लागू होगा।

- निजी मालिकों को औद्योगिक रोज़गार-कानून 1946 के तहत अपने स्थाई आदेशों में यह निषेधाज्ञा भी शामिल करनी होगी।
- काम की जगह पर औरतों के विरूद्ध वातावरण न बनने देने के लिए काम, विश्वाम, स्वास्थ्य तथा सफ़ाई की उचित कार्य परिस्थितियां मुहैया कराई जानी चाहिए।

कानूनी कार्रवाई

जहां कहीं ऐसा अपराध होता है, जो भारतीय दंड संहिता या अन्य किसी कानूनी दायरे में आता है तो मालिक को उचित कानून अधिकारी को सूचित करना चाहिए।

उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराध की शिकार औरत या गवाहों को तंग न किया जाए। उस महिला को अपना या यौन-अत्याचारी का तबादला करवाने के चुनाव का अधिकार होना चाहिए।

• अनुशासनात्मक कार्रवाई

संस्था के मालिक या अधिकारी को अपने सेवा नियमों के हिसाब से यौन अत्याचारी के ख़िलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

शिकायत प्रक्रिया

हर संस्था में एक ऐसा तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए कि महिला अपनी शिकायत

यां मुहैया • कामगारों की पहल

शिकायत समिति

यौन-उत्पीड़न के मुद्दे कामगारों की बैठकों में उठाए जाएं। अन्य सभी उचित मंचों पर उनकी चर्चा हो। कामगार तथा मालिकों की बैठकों में भी इन पर बात हो।

बिना डर के बता सके। उस शिकायत पर एक

जहां जरूरत हो एक शिकायत समिति बनाई

जाए। एक सलाहकार या अन्य सहायक सेवाएं

मौजूद हों। जो गोपनीयता के साथ काम

करें। शिकायत समिति की अध्यक्ष कोई औरत

हो। यह समिति हर वर्ष सम्बन्धित सरकारी

विभाग को अपनी रिपोर्ट दे।

निश्चित समय के भीतर कार्रवाई हो।

• जागरूकता

इस सम्बन्ध में महिला कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए जाएं।

• वाहरी व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न

यदि यह अपराध किसी बाहरी व्यक्ति ने किया है तो रोकथाम या कानूनी कार्रवाई के

लिए महिला को पूरा सहयोग दिया जाए। औरतों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए महिला आंदोलन काम करता रहा है। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि भंवरी को अब तक न्याय नहीं मिला है, लेकिन व्यापक अर्थ में यह उसकी न्याय की लड़ाई में एक फ़तह है।